रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-05072024-255219
CG-MH-E-05072024-255219

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 495]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 5, 2024/आषाढ 14, 1946
No. 495]	NEW DELHI, FRIDAY, JULY 5, 2024/ASHADHA 14, 1946

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(मानव संसाधन विभाग)

(प्रधान कार्यालय : पुणे)

अधिसूचना

पुणे, 5 जुलाई, 2024

फा.सं. एचआरएम/बीएम/पेंशन/2024-25/31–(ई).—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 की उप धारा (2) के खंड (एफ)द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का निदेशक मंडल,भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ परामर्श के पश्चात और केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से,बैंक ऑफ महाराष्ट्र (कर्मचारी) पेंशन विनियम,1995 में आगामी संशोधन हेतु एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ – (1) ये विनियम बैंक ऑफ महाराष्ट्र (कर्मचारी)पेंशन विनियम,2024 कहलाएंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन के दिनांक से लागू होंगे।

2. बैंक ऑफ महाराष्ट्र (कर्मचारी) पेंशन विनियम,1995(इसके बाद इसे उक्त विनियमों के रूप में जाना जाएगा), के अंतर्गत विनियम 2, खण्ड (एस), उप खण्ड (डी) में निम्नलिखित प्रावधानों को प्रस्थापित किया जाएगा: —

"बशर्ते कि दिनांक 1 नवंबर, 2012 से लागू किए गए विशेष भत्ते को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा:

बशर्ते यह भी कि कोई कर्मचारी जो कि दिनांक 1 नवंबर, 2017 को बैंक में सेवारत था, और जिनकी अवरूद्ध वेतनवृद्धि को उनके अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने के दिनांक से संशोधित आवधिकता के अनुसार पुनः

समायोजित किया गया है; पेंशन के उद्देश्य से दिनांक 1 नवंबर, 2017 से प्रभावी ऐसी संशोधित अवरूद्ध वेतनवृद्धि के लिए आनुमानिक रूप से पात्र होंगे परंतु ऐसे पुनः समायोजन के कारण मौद्रिक लाभ केवल दिनांक 1 नवंबर, 2020 या पात्रता के वास्तविक दिनांक, जो भी बाद में हो, से देय होगा।"

3. उक्त विनियम के विनियम 22 के उप विनियम (1) में निम्नलिखित प्रावधानों को प्रस्थापित किया जाएगा: —

"बशर्ते कि ऐसे कर्मचारी को, जो बैंक की सेवा में स्थायी आधार पर पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में या स्थायी आधार पर अंशकालिक कर्मचारी के रूप में वेतनमान पर नियोजित हैं, हटाए जाने पर उसकी संपूर्ण पिछली सेवा ज़ब्ती के लिए बाध्य नहीं होगी और वह पेंशन लाभ के लिए पात्र होगा।"

4. उक्त विनियमों के विनियम 36 में, खण्ड (एफ)के बाद, निम्नलिखित खण्ड प्रस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: —

" (जी) दिनांक 1 नवंबर 2017 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी, अंशकालिक कर्मचारी से भिन्न, कर्मचारी के संबंध में तीन हजार नौ सौ पचासी रुपए प्रति माह, 1/3 वेतनमान प्राप्त करने वाले अंशकालिक कर्मचारी के संबंध में एक हजार तीन सौ पैंतीस रुपये प्रति माह, 1/2 वेतनमान प्राप्त करने वाले अंशकालिक कर्मचारी के संबंध में दो हजार रुपये प्रतिमाह, और 3/4 वेतनमान प्राप्त करने वाले अंशकालिक कर्मचारी के संबंध में तीन हजार रुपये प्रति माह, जहां अंशकालिक कर्मचारी 1 नवंबर 2017 या पात्रता की वास्तविक तिथि, जो भी बाद में हो, से देय होगा।"

5. उक्त विनियमों के विनियम 40 में, —

(ए) उप विनियम (1) में, —

(i) खंड (बी) में, पहले उपबंध के लिए, निम्नलिखित उपबंध प्रस्थापित किया जाएगा, अर्थात : —

"बशर्ते कि पुत्र या पुत्री (विधवा या तलाकशुदा सहित) को देय पारिवारिक पेंशन बंद कर दी जाएगी या स्वीकार्य नहीं होगी, जब पात्र पुत्र अथवा पुत्री सरकारी या निजी क्षेत्र में रोजगार से या स्वरोजगार आदि से प्रति माह रु. बारह हजार से अधिक की राशि अर्जित करना शुरू कर देते हैं।";

(ii) खंड (सी) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रस्थापित किया जाएगा, अर्थातः —

"(सी) माता-पिता के मामले में, पारिवारिक पेंशन बंद कर दी जाएगी या स्वीकार्य नहीं होगी यदि माता-पिता में से किसी एक की आय अथवा माता-पिता दोनों की कुल आय सरकारी या निजी क्षेत्र में रोजगार से या स्वरोजगार आदि से प्रति माह रुपये बारह हजार से अधिक हो जाए।";

(बी) उप-विनियम (4) में,: —

(i) खंड (ए) में, उप-खंड (vi) के पश्चात, निम्नलिखित प्रस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

"(vii) दिनांक 1 नवंबर 2017 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले या मृत कर्मचारियों, अधिकारियों और कर्मचारियों दोनों,के संबंध में प्रति माह रुपये छब्बीस हजार पांच सौ साठ केवल।";

बशर्ते कि दिनांक 1 अप्रैल, 2021 को और उस दिन से उप-खंड (i) से (vii) प्रभावी नहीं रहेंगे और उपर्युक्त सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए दोनों पेंशनों की राशि विनियम 39 के उप-विनियमन (3) के खंड (ए) के उप-खंड (i) और खंड (बी) के उप-खंड (i) के प्रावधानों के अनुसार देय होगी।"

(ii) खंड (बी) में, उप-खंड (vi) के पश्चात, निम्नलिखित प्रस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

"(vii) दिनांक 1 नवंबर 2017 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले या मृत कर्मचारियों, अधिकारियों और कामगारों दोनों, के संबंध में प्रति माह रुपये छब्बीस हजार पांच सौ साठ केवल।";

बशर्ते कि दिनांक 1 अप्रैल, 2021 को और उस दिन से उप-खंड (i) से (vii) प्रभावी नहीं रहेंगे और उपर्युक्त सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए दोनों पेंशनों की राशि विनियम 39 के उप-विनियमन (1) या खंड (ए) के उप-खंड (i) और उप-विनियमन (3) के खंड (बी) के उप-खंड (i), जैसा भी मामला हो, के प्रावधानों के अनुसार देय होगी।"

(iii) खंड (सी) में, उपखंड (vi) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड प्रस्थापित किए जाएंगे,

अर्थात्: —

"(vii) तेरह हजार दो सौ अस्सी केवल उन कार्मिकों, अधिकारियों और कामगारों के संबंध में, जो दिनांक 1 नवम्बर, 2017 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए या उनकी मृत्यु हो गई:

बशर्ते कि दिनांक 1 अप्रैल, 2021 को अथवा इस दिनांक से उप-खंड (i) से (vii) प्रभावी नहीं रहेंगे और उपर्युक्त सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए दोनों पेंशन की राशि विनियम 39 के उप-विनियम (1) के प्रावधानों के अनुसार देय होगी।"

6. उक्त विनियमों के परिशिष्ट-II में, खंड (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(4) दिनांक 1 मई, 2005 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में, 1960 = 100 श्रृंखला में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के त्रैमासिक औसत में 2288 अंकों से ऊपर, जो भी लागू हो, प्रत्येक 4 अंकों की प्रत्येक वृद्धि के लिए महंगाई राहत देय होगी या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूली योग्य होगी। प्रत्येक उक्त 4 अंकों के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या कमी मूल पेंशन के 0.18 प्रतिशत की दर से गणना की जाएगी:

बशर्ते कि दिनांक 1 मई, 2005 से उन कर्मचारियों के संबंध में, जो 1 नवम्बर, 2002 को या उसके पश्चात किन्तु 30 अप्रैल, 2005 को या उससे पूर्व सेवानिवृत्त हुए हों, इस खंड के अनुसार महंगाई राहत देय होगी:

बशर्ते कि दिनांक 1 नवम्बर, 2007 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के संबंध में, 1960=100 श्रृंखला में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के त्रैमासिक औसत में 2836 अंकों से अधिक प्रत्येक 4 अंकों की प्रत्येक वृद्धि के लिए महंगाई राहत देय होगी या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूली योग्य होगी, जो भी लागू हो। प्रत्येक 4 अंक के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या कमी मूल पेंशन के 0.15 प्रतिशत की दर से गणना की जाएगी:

बशर्ते कि दिनांक 1 नवम्बर, 2012 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के संबंध में, 1960=100 श्रृंखला में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के त्रैमासिक औसत में 4440 अंकों से अधिक प्रत्येक 4 अंकों की प्रत्येक वृद्धि के लिए यथामामला महंगाई राहत देय होगी या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूली योग्य होगी। प्रत्येक 4 अंक के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या कमी की गणना मूल पेंशन के 0.10 प्रतिशत की दर से की जाएगी:

बशर्ते कि दिनांक 1 नवम्बर, 2017 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के संबंध में, 1960=100 श्रृंखला में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के त्रैमासिक औसत में 6352 अंकों से अधिक प्रत्येक 4 अंकों की प्रत्येक वृद्धि के लिए महंगाई राहत देय होगी या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूली योग्य होगी, जो भी लागू हो। प्रत्येक 4 अंक के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या कमी की गणना मूल पेंशन के 0.07 प्रतिशत की दर से की जाएगी।"

7. उक्त विनियमों के परिशिष्ट III में, खंड (एफ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(जी) अंशकालिक कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों (अधिकारियों और कर्मचारियों दोनों)के संबंध में दिनांक 1 नवंबर, 2017 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी:

प्रति माह वेतनमान	मासिक पारिवारिक पेंशन की राशि
(1)	(2)
रू. 15,880 रुपये तक	वेतन का 30 प्रतिशत मूल पारिवारिक पेंशन होगी तथा ऐसे भत्ते, जिनकी गणना भविष्य निधि अंशदान के लिए की जाती है,परंतु महंगाई भत्ते के लिए नहीं, का 30 प्रतिशत अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी। बशर्ते कि मूल तथा अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन को मिलाकर कुल योग न्यूनतम रु.3985/- प्रति माह होगी।
रू. 15,881 रुपये से 31,760 रुपये	वेतन का 20 प्रतिशत मूल पारिवारिक पेंशन होगी तथा ऐसे भत्ते, जिनकी गणना भविष्य निधि अंशदान के लिए की जाती है, परंतु महंगाई भत्ते के लिए नहीं, का 20 प्रतिशत अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी। बशर्ते कि मूल तथा अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन को मिलाकर कुल योग न्यूनतम रु.4900/- प्रति माह होगी।
रुपये 31,760 से अधिक	वेतन का 15 प्रतिशत मूल पारिवारिक पेंशन होगी तथा ऐसे भत्ते, जिनकी गणना भविष्य निधि अंशदान के लिए की जाती है, परंतु महंगाई भत्ते के लिए नहीं, का 15 प्रतिशत अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी। बशर्ते कि मूल तथा अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन को मिलाकर कुल योग न्यूनतम रु.6365/- और अधिकतम रू. 13280/-प्रति माह होगी।

(एच) दिनांक 1 अप्रैल, 2021 से खंड (ए) से (जी) प्रभावी नहीं रहेंगें और उक्त खंड में उल्लिखित सभी कर्मचारियों (अधिकारी और कर्मगारों दोनों) के संबंध में, मूल वेतन का 30 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन होगी तथा ऐसे भत्ते, जिनकी गणना भविष्य निधि अंशदान के लिए की जाती है, परंतु महंगाई भत्ते के लिए नहीं, का 30 प्रतिशत अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी।

विवरणात्मक ज्ञापन

जिन विनियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया है, वे इस संबंध में संबंधित बैंकों और बैंकों के शीर्ष स्तरीय कर्मचारी यूनियन तथा अधिकारी एशोसिएशन द्वारा दिए गए विशिष्ट अधिदेश के आधार पर सदस्य बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ के बीच हस्ताक्षरित समझौतों और संयुक्त नोटों के सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार हैं। अतः ऐसे पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[विज्ञापन-III/4/असा./264/2024-25]

के. राजेश कुमार, महाप्रबंधक

नोट: प्रमुख विनियम भारत के राजपत्र, भाग III, धारा 4,दिनांक 29 सितंबर, 1995 की अधिसूचना संख्या एएक्स1/एसटी/बीएम/11483/95 के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था तथा अंतिम संशोधन दिनांक 19 जुलाई, 2023 की अधिसूचना क्र.एएक्स1/एसटी/पेंशन रजि./1524/2022-23 के अंतर्गत किया गया था।

BANK OF MAHARASHTRA

(Human Resource Management)

(HEAD OFFICE: PUNE)

NOTIFICATION

Pune, the 5th July, 2024

F. No. HRM/BM/Pension/2024-25/31–(E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (2) of Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Bank of Maharashtra, after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Bank of Maharashtra (Employees') Pension Regulations, 1995, namely:—

1. **Short title and commencement**-(1) These regulations may be called the Bank of Maharashtra (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bank of Maharashtra (Employees') Pension Regulations, 1995 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 2, in clause (s), in sub-clause (d), the following provisos shall be inserted, namely: —

"Provided also that special allowance introduced with effect from the 1st day of November, 2012 shall be excluded:

Provided further that an employee who was in the services of the Bank as on the 1st November, 2017 and whose stagnation increments have been re-adjusted as per revised periodicity from the date of reaching their maximum scale of pay, shall be notionally eligible for such revised stagnation increments with effect from the 1st November, 2017 for the purposes of Pension but the monetary benefit on account of such re-adjustment shall be payable only with effect from the 1st November, 2020 or the actual date of entitlement, whichever is later.".

3. In Regulation 22 of the said regulations, in sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely: —

"Provided that the removal of an employee, who is employed in the service of the Bank as a workman on full time work on permanent basis or on part-time work on permanent basis on scale wages, shall not entail for forfeiture of his entire past service and shall qualify for pensionary benefits.".

4. In Regulation 36 of the said regulations, after Clause (f), the following clause shall be inserted, namely: —

"(g) rupees three thousand nine hundred and eighty-five per month in respect of an employee, other than a part-time employee, where the employee retired on or after the 1st day of November, 2017, rupees one thousand three hundred and thirty-five per month in respect of a part-time employee drawing 1/3 scale of wages, rupees two thousand per month in respect of part-time employee drawing ½ scale wages, and rupees three thousand per month in respect of a part-time employee drawing ¾ scale wages, where the part-time employee retired on or after the 1st day of November, 2017.".

5. In regulation 40 of the said regulations, —

(a) in sub-regulation (1),-

(i) in clause (b), for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided that the family pension payable to son or daughter (including widowed or divorced) shall be discontinued or not be admissible when the eligible son or daughter starts earning a sum in excess of rupees twelve thousand per month from employment in Government or private sector or self–employment etc;";

(ii) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely: —

"(c) in the case of parents, the family pension shall be discontinued or not be admissible if the income of one of the parents or the aggregate income of both the parents from employment in Government or Private sector or self – employment, exceeds rupees twelve thousand per month;";

(b) in sub-regulation (4), —

(i) in clause (a), after Sub-clause (vi), the following shall be inserted, namely: —

"(vii) twenty-six thousand five hundred and sixty rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after the 1st day of November, 2017:

Provided that on and from the 1st day of April, 2021, sub-clause (i) to (vii) shall cease to have effect and the amount of both pensions for all the above said category of employees shall be payable as per the provisions of sub-clause (i) of clause(a) and sub-clause (i) of clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 39.";

(ii) in clause (b), after sub-clause(vi), the following shall be inserted, namely: —

"(vii) twenty-six thousand five hundred and sixty rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after the 1st day of November, 2017:

Provided that on and from the 1st day of April, 2021, sub clause (i) to (vii) shall cease to have effect and the amount of both the pension for all the above said category of employees shall be payable as per the provisions of sub-regulation (1) of regulation 39 or sub-clause (i) of clause (a) and sub-clause (i) of clause (b) of sub-regulation (3) of the said regulation, as the case may be.";

(iii) in clause (c), after the sub-clause (vi), following sub-clauses shall be inserted, namely: —

"(vii) thirteen thousand two hundred and eighty only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after the 1st day of November, 2017:

Provided that on and from the 1st day of April, 2021, sub clause (i) to (vii) shall cease to have effect and the amount of the two pensions for all the above said category of employees shall be payable as per the provisions of sub-regulation (1) of regulation 39.”.

6) In Appendix-II to the said Regulations, for clause (4), the following shall be substituted, namely:-

“(4) In respect of employees who retire on or after the 1st May, 2005, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 2288 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.18 per cent. of basic pension:

Provided that on and from the 1st day of May, 2005, in respect of employees who retired on or after the 1st day of November, 2002 but on or before the 30th day of April , 2005, dearness relief shall be payable in terms of this clause:

Provided further that in respect of employees who retired on or after the 1st day of November, 2007, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 2836 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.15 per cent. of basic pension:

Provided also that in respect of employees who retired on or after the 1st day of November, 2012, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 4440 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.10 per cent. of basic pension:

Provided also that in respect of employees who retired on or after the 1st day of November, 2017, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 6352 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.07 per cent of basic pension.”.

7) In Appendix-III to the said regulations, after clause (f),the following clauses shall be inserted, namely: —

“ (g) In respect of employees (both officers and workmen) other than part-time employees retiring on or after the 1st day of November, 2017:

Scale of pay per month	**Amount of monthly Family Pension**
(1)	**(2)**
Upto Rs.15,880	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowance which are counted for making contribution to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.3985 per month.
Rs.15,881 to Rs.31,760	20 per cent. of the pay shall be basic family pension and additional 20 per cent. of allowance which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to minimum of Rs.4900 per month.
Above Rs.31,760	15 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 15 per cent. of allowances which are counted for making contributions to provident fund but not for the dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.6365 per month and maximum of Rs.13280 per month.

(h) On and from the 1st day of April, 2021 clauses (a) to (g) shall cease to have effect and in respect of all employees (both officers and workmen) mentioned in the said clauses, 30 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 30 per cent of allowance which are counted for making contribution to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension.”.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The regulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the settlements and Joint Notes signed between the Indian Banks' Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level workmen unions and officers' associations of the banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.

[ADVT.-III/4/Exty./264/2024-25]

K. RAJESH KUMAR, General Manager

Note: The principal regulations were published in Gazette of India, Part III, Section 4 vide notification number AX1/ST/BM/11483/95, dated the 29th September, 1995 and lastly amended vide notification number AX1/ST/Pension Reg./1524/2022-23, dated the 19th July, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.07.05 19:58:25 +05'30'